

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज / प्रतापगढ़

पत्र संख्या—एफ०पी० / सीएफओ / आई-३ / २०२०

दिनांक— १३/१०/२०२०

सेवा में,

डॉक्टर/प्रबन्धक

**वी०एल० सुधिता इण्टर नेशनल स्कूल
विश्वनाथगंज सहेरुआ प्रतापगढ़**

विषय—अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टि से भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों की फायर ऑडिट आव्याय निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिदेशक उ०प्र० फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या—सीए—डीजीएफएस—विविध—२०१८ दिनांक—०५.०३.२०१९ के कम में आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित प्रश्नगत भवन का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रतापगढ़ श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा फायर ऑडिट कराया गया। प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति सहित आव्याय एवं अभिलेखों का मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है—

- भवन सम्पर्क मार्ग पर स्थित है भवन तक फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक पहुंच सकते हैं एवं सुगमतापूर्वक अग्निशमन का कार्य किया जा सकता है।
- भवन भूतल, प्रथम तल में निर्मित है कोचिंग किराये पर प्रथम तल में संचालित है। भवन में आवागमन के लिये एक सीढ़ी निर्मित है, दूसरी सीढ़ी की व्यवस्था कराना अपेक्षित है।
- भवन में मानक के अनुसार स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्ह युक्त आई०एस०-२१९० के अनुसार कार्यशील दशा में पाए गये।
- भवन में एनबीसी—२०१६ मानक के अनुसार-१०,००० ली० का टेरिस टैंक, डाउन कामर, प्रत्येक तल पर ३०-३० मी० की होजरील, ४५० एलपीएम का टेरिस पम्प, अपेक्षित है।
- मुख्य—मुख्य स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड एवं फारस्टो का मो० नं० ९४५४४१८५७६ अंकित है।
- भवन में कार्यरत स्टाफ/कर्मियों को फायर फाइटिंग का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों की फायर ऑडिट आव्याय निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है।

- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित अग्निशमन व्यवस्थाएं अतिशीघ्र पूर्ण कराएं तथा यंत्रों को सदैव कार्यशील दशा में बनाएं रखने हेतु मैट्रिनेंस शेड्यूल बनाया जाये एवं उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाए।
- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन का अतिशीघ्र ऑनलाइन एनओसी कराएं।
- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केंद्र को दी जाए तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण कराया जाए।
- प्रत्येक ०६ माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेन्युशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने की नवीनीकरण आव्याय प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाए जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत आव्याय स्वतः निरस्त मानी जायेगी।



PRINCIPAL
S.L.SUDHITA INTERNATIONAL
SCHOOL & COLLEGE Vishwanathganj
Bawali (U.P.)

(रवीन्द्र रांकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज / प्रतापगढ़

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रतापगढ़

